...संख्या ::–9 / 2013

1– सत्यनारायण आत्मज स्व. रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी
2– रामगोपाल आत्मज स्व. रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी

वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य द्वारा श्री जिला कलक्टर चितौडगढ़
2– श्री तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार बेगूँ
पैरोकार राज.सरकार

निर्णय दिनांक :–04.09.2023

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ में तत्कालीन ठिकाना पारसोली के महाराव श्री जगन्नाथ सिंह जी जागीरदार पारसोली द्वारा मौजा लुहारिया ठिकाना पारसोली की तत्कालीन आराजी संख्या 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा किस्म पडत III जो मय आराजी चाह जो आराजी संख्या 61 से पीवल होती हैं। उक्तआराजी को 1200 रूप्ये में विक्रय कर दी और इसका पट्टा नम्बर 112/1 ठिकाना पारसोली में दिनांक 30.05.1950 तद्नुसार सम्वत 2007 जेठ सुदी 14 मंगलवार को जारी किया गया तभी से इस आराजी पर वादीगण के स्वर्गीय दादा श्री कृष्ण जी काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के पिता स्व0. रामस्वरूपजी काबिज रहे, जिनका भी देहावसन लगभग 11 वर्ष पूर्व हो चुका है। एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण उनके उत्तराधिकारी होकर काबिज हो काश्त कर रहे है।

हम साबिक आराजी नम्बर 80के वर्तमान सेटलमेन्ट सम्वत 2023 में नये आराजी नम्बर 496 अंकित हुए है जिसमें यह रकबा भी शामिल कर लिया गया है जिसकी किस्म सुण्डी अंकित है। यानि हम वर्तमान आराजी नम्बर 496 में वादीगण के दादा जी को दिये गये आराजी नम्बर 80 का 42 बीघा 16 बिस्वा रकबा भी शामिल कर दिया गया है और उसे बिलानाम नाकाबिल काश्त सिवायचक अंकित कर दिया गया है, जबकि यह सम्पूर्ण काबिल काश्त होकर इसमें कृषि कार्य हो रहा है व दोनों फसले सियालू और उनालू की होती हैं।

यह कि उक्त साबिक आराजी नम्बर 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा "सूण्डी" (नदी के किनारे की भूमि) को बापी पट्टे के आधार पर अपने नाम अंकित कराने हेतु स्व0 श्री कृष्ण जी एवं रामस्वरूप जी दोनों ने राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो के समक्ष समय समय पर प्रयास किये किन्तु रेकार्ड में सुधार नहीं हुआ। और यह बिलानाम सरकार ही चल रही है। स्व0 कृष्ण जी ने पंचायत, तहसील आदि सभी जगह पर प्रयास किये ओर उनके स्वर्गवास के पश्चात स्व0 रामस्वरूप जी भी प्रयासरत रहे किन्तु राज्य कर्मचारियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप रिकोर्ड में परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार स्व0 रामस्वरूप जी के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही हुयी, पेनेल्टीयां भी लगाई गई किन्तु आज तक यह भूमि बिलानाम सरकार ही चली आ रही है, जबकि वादीगण तीन पीढियों से इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण के स्व0 दादा जी श्री कृष्ण जी को तत्कालीन जागीरदार सा0 पारसोली द्वारा यह भूमि रकम लेकर पट्टे पर दी गई जिसका उन्हे पूरा अधिकार था क्योंकि वे तत्कालीन मेवाड राज्य के प्रथम श्रेणी के जागीरदार थे जिससे पट्टे के आधार पर लगभग ... से वादीगण काबिज है और नाजायज कब्जे की कार्यवाहियों की परेशानियां व पेनेल्टीयां ... रहे है ओर पेनेल्टी जमा करा रहे है। यह भूमि रिकोर्ड में बिलानाम अंकित होने से वादीगण को भविष्य में भी कई परिशानियां हो सकती है जिससे वादीगण के लिए यह घोषित कराना आवश्यक है कि इस आराजीयात के खातेदार कृषक है क्योंकि वादीगण स्व0 कृष्ण जी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

... नायब तहसीलदार
... एवं नाजायज कब्जे बाबत कार्यवाही नहीं करने हेतु
... जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो प्रतिदिन हो रही है।

यह कि वाद राजस्थान राज्य एवं उसके अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा ... है जिससे वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण को दिनांक 31.05.2012 को अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. पंजीकृत सूचना पत्र दिये गये जिसकी तामिल प्रतिवादीगण पर दिनांक 01.06.2012 को हो चुकी है जिसके 2 माह की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही कोई उत्तर ही दिया गया है जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

आराजी ग्राम लुहारिया तह0 बेगूँ अवस्थित है जिससे खातेदारी हक की घोषणा हेतु वाद समायत न्यायालय आप है। यह कि वाद पत्र का मूल्यांकन बलिहाज समायत व न्याय शुल्क 50 हजार रूपये कायम किया जाकर वाद निर्धारित न्यायशुल्क पर मय सम्मन के नकलों के प्रस्तुत है।

वादीगण की प्रार्थना है कि :–

1– पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण यह घोषित फरमाया जावे कि ग्राम लुहारिया तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ की आराजी नम्बर 496 का रकबा 43 बीघा 16 बिस्वा जिसके साबित आराजी नम्बर 80 एवं डोहरी (पिलाई का साधन) नम्बर 61 है उसके वादीगण को खातेदारी घोषित किये जावे और वादीगण का नाम रेकार्ड में बहैसियत खातेदार अंकित कराया जावें।

2– खर्चा मुकद्मा वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

3– कि अन्य मुफीद वाद जो उचित हो वादीगण को दिलाया जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपनी उपस्थित देते हुए राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन करते हुए वाद पत्र की कलम संख्या 1 से 11 को अस्वीकार करते हुए जवाब दावे के विशेष कथन में अंकित किया है कि ग्राम लुहारिया की गत सेटलमेन्ट आराजी संख्या 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा व आराजी नम्बर 81 रकबा 13बीघा 11 बिस्वा नवीन सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 496 रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा गैर मुमकिन सुण्डी दर्ज रिकोर्ड है। उक्त भूमि गैर मुमकिन सुण्डी होने से वादीगण के नाम खातेदारी घोषित किये जाने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी निरस्त फरमाया जावें। यह जवाब दावा प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा 29.05.2013 को प्रस्तुत किया गया साथ ही प्रकरण तहसीलदार बेगूँ द्वारा एक ओर जवाब दावा 03.07.2019 को प्रस्तुत किया गया है, पैरोकार तहसीलदार ,द्वारा द्वितीय जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि खसरा नम्बर 496 का रकबा 0.0280 रकबा नदी एवं नाले के जमीन में किस्म नदी अंकित है जो आर टी एक्ट की धारा 16 से प्रभावित है इस प्रकार किसी की खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है वाद पत्र निरस्त योग्य हैं। पत्रावली में जवाब प्रतिवादी का प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी कायम की गई जो आदेशिका पर ही सृजित की गई है।

1– आया कि मौजा लुहारिया की वर्तमान आराजी संख्या 496 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा जिसके साबिक आराजी संख्या 80 एवं डोहरी पिलाई का साधन का नम्बर 61 है उसके वादीगण खातेदार घोषित करा पाने के वादीगण अधिकारी है?

वादीगण

2– आया कि गत सैटलमेंन्ट आराजी संख्या 80रकबा 42बीघा 16 बिस्वा व आराजी संख्या 81रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा नवीन सेटलमेन्ट आराजी संख्या 496 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा सूण्डी दर्ज रिकोर्ड है, उक्त भूमि गैरमुमकिन सूण्डी होने से वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य नहीं होने से दावा खारिज किये जाने योग्य है?

प्रतिवादीगण

3– दादरसी ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी रामगोपाल, गवाह भैरू, गवाह उगमा, गवाह चन्द्रा, के प्रस्तुत किये प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जिरह की गई जो कि दिनांक 13.05.2015 को रामगोपाल से , दिनांक 30.11.2016 को गवाह चन्द्रा पिता भूरा से जिरह की गई,

वादीगण पूर्ण होने पर प्रतिवादीगण [illegible]

प्रस्तुत नहीं किया गयां ।

इस प्रकार पत्रावली में सभी साक्ष्य वादीगण प्रस्तुत होने एवं प्रतिवादीण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से के पश्चात उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । वादीगण की ओर से अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि वाद वर्णित भूमि मेवाड सेटलमेन्ट से पूर्व जागीरदार श्री जगन्नाथ सिंह जी के द्वारा वादीगण के दादा जी श्री कृष्ण चन्द्र जी को जरिये स्टाम्प लिखित राशि 1200 रूपये में विक्रय कर स्टाम्प अपनी मोहर से जारी कर जमीन सुपुर्द कर दी थी। जो उक्त दस्तावेज प्रदर्श 25 है। उक्त वाद वर्णित भूमि के गत सेटलमेन्ट के आराजी नम्बर 80 थे जो सेटलमेन्ट के बाद उसके नवीन आराजी संख्या 496 बने उक्त भूमि पर वादीगणक` दादा जी व उनके बाद वादीगण के पिता द्वारा काश्त की जाती रही है, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी को बिलानाम सिवायचक भूमि दर्ज कर दिया गया , जबकि यह जमीन जिसकी किस्म "सूण्डी" (नदी के किनारे की भूमि) होकर वादीगण के पूर्वज द्वारा काश्त की जाती रही है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिलानाम अंकित की गई है जो वर्तमान में किस्म नदी दर्ज है। उक्त भूमि वक्त खरीद से ही वादीगण के पूर्वज के कब्जे काश्त में रही है तथा आज भी इस जमीन पर फसल बोई जा रही है, कब्जे काश्त के आधार पर व भूमि बिलानाम होने के कारण नायब तहसीलदार पारसोली द्वारा वादीगण के दादा व उनके बाद वादीगण के पिता के विरूद्व नाजायज कब्जे की कार्यवाही करते हुए उन्हें नोटिस दिया गया है व वादीगण के पेनेल्टी भी जारी की गई। इस प्रकार यह भूमि वादीगण की खरीदशुदा भूमि होकर कब्जे काश्त की भूमि होने से वादीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि है जो वादीगण के नाम पर खातेदारी घोषणा कराने का आदेश करा पाने के वादीगण वक्त खरीद व कब्जे से अधिकारी पाये जाते है। अतः श्रीमान आप से निवेदन है कि वाद वादीगण का स्वीकार फरमाते हुए वादीगण के पक्ष में वाद वर्णित आराजी संख्या 496 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा व पिलाई का साधन 61 की घोषणा वादीगण के पक्ष में फरमाई जावें। अधिवक्ता वादीगण की बहस के पश्चात पैराकार सरकार की ओर से उपस्थित तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपनी बहस निवेदन करते हुए कहा कि वादवर्णित भूमि वर्तमान में किस्म नदी दर्ज अंकित है , श्रीमान नदी तालाब पेटा आदि भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार की भूमियां धारा 16 से बाधित होती है। हमारी विनम्र राय से वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया , हमारे इस वाद पत्र की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने व भौतिक मौके की जानकारी लिये जाने हेतु मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाया जाना हमारे द्वारा न्याय संगत समझा गया क्यो कि वाद वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व की खरीदशुदा भूमि है जो कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा अपनी मोहर से पट्टा पर विक्रय पत्र को वादीगण के दादा के पक्ष में निष्पादित किया गया है, इस प्रकार पत्रावली में मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली में न्यायालय द्वारा जरिये पत्रांक 71 दिनांक 11.03.2022 से तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा जाकर वाद वर्णित आराजीयात की मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा 23.11.2023 को अपने पत्र के साथ पटवारी हल्का ईटावा की रिपोर्ट एवं पर्चामौका पत्र संलग्न कर इस न्यायालय को भिजवाई गई । रिपोर्ट में ग्राम लुहारिया की गत आराजी नं0 61 रक[illegible] दर्ज होकर भूरा पिता उदा 1/4 वर्ग. व आराजी नम्बर 80 रकबा 61 बीघा 19 बिस्वा [illegible] नाकाबिलग काश्त सिवायचक नाकाबिल काश्त दर्ज थी। वक्त भू–प्रब[illegible] 07 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 350 रकबा 0.057 हैक्टर [illegible] 80 के नवीन आराजी नम्बर 496 रकबा 10.0280 हैक्टर होकर नदी दर्ज [illegible] आराजी नम्बर 350 रकबा 0.0570 हैक्टर श्री भैरू पिता उदा जाति गुर्जर वगै. के नाम पर दर्ज होकर कुआ दर्ज है व आराजी नम्बर 496 रकबा 10.0280 हैक्टर किस्म नदीं होकर दो नदियों के बीच स्थित होकर वर्तमान में श्री सत्यनारायण पिता रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी ने उदयराम, बद्रीलाल , राधेश्याम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सं0 2078 का व नक्शा,भू–प्रबन्ध सं0 2023 की नकल जिसमें गत आराजी नम्बर 61 के नवीन आराजी संख्या 350 [illegible] रकबा 07 बिस्वा किस्म नयाकुआ दर्ज है , तथा गत आराजी संख्या 80रकबा 61 [illegible] 14 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी संख्या 496 रकबा 61बीघा 14 बिस्वा बने होकर किस्म [illegible] दर्ज होकर कॉलम संख्या 23 व 24 क्रमशः नाम कृषक में बिलानाम ना काबिल काश्त व [illegible]वाचक दर्ज अंकित किया हुआ है। साथ ही मेवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट उदयपुर की नकल सं0 2000 की भी संलग्न प्रस्तुत की गई है जिसमें गत आराजी संख्या 80रकबा 42 बीघा 16बिस्वा किस्म प.III भूमि बिलानाम काबिलकाश्त भूमि अंकित है। पत्रावली में बहस सुने जाने एवं प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलाकन किया गया , पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। अतः तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1–<u>तनकी नम्बर 01 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा दावा पत्रावली में जो दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये है वह सभी वक्त साक्ष्य प्रदर्श किये जाकर पत्रावली में सभी गवाह व दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, पत्रावली में हम यह जानकारी लिया जाना आवश्यक समझते है कि वादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजीयात मौजा लुहारिया की वर्तमान आराजी संख्या 496 रकबा 42बीघा 16 बिस्वा जिसके साबिक नं0 80 एवं डोहरी (पिलाई का साधन) नं0 61 की घोषणा अपने पक्ष में क्यों करवाना चाहते है। पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा नम्बर 112/1 जो कि प्रदर्श–25 जो कि पट्टा नम्बर 112/1 है में महाराज श्री जगन्नाथसिंह जी द्वारा श्री कृष्ण पिता श्री हरलाल जी ओझा निवासी बस्सी को तहसील गंगरार की मौजा लुहारिया ठिकाना पारसोली जिला चितौडगढ में ठिकाने की डोरीनामी सुन्डी बेडच नदी पर है जो आराजी नम्बर 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा पडत III आचाह डोरी नं0 61 सहित का बेचान रूपये 1200/– में की गई है उक्त बेचान सं0 2007 ज्येष्ठ सुदी 14 मंगलवार तारीख 30.05.19950 को पट्टा स्टाम्प उदयसिंह कोठारी का श्रीमान हजुर साहब के हुक्म से लिखा गया है,। इस प्रकार यह विक्रय सन 1950 यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ तभी से जागीरदार साहब द्वारा वादीगण के दादा जी श्री कृष्ण जी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया था। यह आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी होने से वादीगण इस आराजीयात को अपने नाम पर घोषित करवाना चाहते है। अब पत्रावली में अन्य प्रस्तुत सभी दस्तावेज जो कि प्रदर्श है उनको वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के साथ अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया है जिनमें प्रदर्श– 1 व प्रदर्श– 2 भू–प्रबन्ध एवं भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान चितौडगढ का सम्मन है जो दिनांक 17.09. 1983 एवं दिनांक 14.12.1983 का है, प्रदर्श– 3 अति0 कलक्टर चितौडगढ़ के पत्र कमांक 2229 दिनांक 29.06.1985 के पत्र की प्रति है जोकि श्री कृष्ण पुत्र श्री हरलाल ओझा निवासी बस्सी के नाम पर लिखा गया है जिसमें उनके खिलाफ प्रकरण में दिनांक 26.07.85 को उपस्थित होने बाबत लिखा गया है। प्रदर्श– 4 उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ के पत्र कमांक 16/85 दिनांक 10.03.1986 का पत्र है जो श्री कृष्ण पिता हरलाल ओझा के नाम पर इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में लिखा गया है। इस पत्र द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.03.86 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु लिखा गया है। प्रदर्श–5 भी अति0 कलक्टर चितौडगढ का पत्र है जो कि कृष्ण पिता हरलाल को दिनांक 26.[illegible].85 को उपस्थित होने के सम्बन्ध में है। प्रदर्श–6 जो कि प्रारूप जो कि कालोनाईजेशन अधिनियम 1968 की धारा 22 के तहत प्रकरण संख्या 662/91 के सम्बन्ध में आराजी नम्बर 496 के लिए वादीगण के पिता रामस्वरूप के नाम पर पेशी 18.11.91 को उपस्थित होने बाबत है जो कि उप तहसीलदार पारसोली द्वारा जारी किया गया है। प्रदर्श–7 भी नोटिस है जो कि रामस्वरूप के नाम पर मौजा लुहारिया सं0 2048 मं आराजी नम्बर 496 रकबा 40बीघा के नाजायज कब्जे की कार्यवाही हेतु दिया गया है जिसमें फसल गेहूँ 15 बीघा में चना 1 बीघा में सब्जी 1 बीघा में होने का उल्लेख किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–8 से लगायत प्रदर्श–15 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] किये गये है। इसी प्रकार [illegible]
[illegible]रूप के विरूद्ध पेशी 30 अगस्त 1995 को उपस्थित रहने हेतु उप तहसीलदार पारसोली [illegible] दिया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श–17, प्रदर्श–18, प्रदर्श–19, प्रदर्श–20 भी नोटिस है जो [illegible]के रामस्वरूप को तारीख पेशी बाबत नाजायज कब्जा आराजी संख्या 496 के सम्बन्ध में उपस्थित होने हेतु उप तहसीलदार पारसोली द्वारा जारी किये गये है। प्रदर्श–21 मांग पर्ची की पर्त है जो कि वर्ष 97–98 में ढालबांछ की संख्या 142 में रामस्वरूप पिता श्री कृष्ण ओझा सा. बस्सी के नाम पर पेनेल्टी फसल नीलामी की राशि 1600 रूपये की है। प्रदर्श–22 पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस है जो कि उप तहसीलदार पारसोली द्वारा रामस्वरूप पिता किशनलाल ब्राह्मण के लिए प्रकरण में 08.08.2005 को उपस्थित आने हेतु जारी किया गया है। प्रदर्श–23 नकल निर्णय दिनांक 20.03.1986 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ के न्यायालय का है जिसमें निर्णय श्री कृष्ण पिता हरलाल ओझा बनाम सरकार प्रकरण संख्या 16/85 में निर्णय पारित किया है " पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अनुपस्थित । प्रार्थी ने ए.एस.ओ. के समक्ष इंतकाल खोलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। इंतकाल तस्दीक करने के अधिकार ग्राम पंचायत को है। अतः वहां पर अपना दावा पेश करें। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।" यह निर्णय पारित किया गया है जो कि उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ द्वारा पारित किया गया है। प्रदर्श–24 एक प्रार्थना पत्र है जो कि प्रार्थी श्री कृष्ण ओझा द्वारा श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत सोनगर को प्रस्तुत किया है जो कि इंतकाल तस्दीक हेतु दिया गया है जिसमें बापी हक की डोरी आराजी संख्या 80 रकबा 42 बीघा 16 बिसवा आचाह सहित का रेकार्ड में अंमल कराने हेतु तस्दीक किये जाने का निवेदन किया है जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री कृष्ण पिता हरलाल जी ओझा निवासी बस्सी मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा आचाह सहित भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते है इनके पास भूमि की सनद में ठिकाना पारसोली द्वारा पट्टा नम्बर 112/1 दिनांक 30.05.1950 सम्वत 2007 जेठसुदी 14 मंगलवार का देखा गया है इसमें पंचायत सोनगर को कोई आपत्ति नहीं है। मूल प्रार्थना पत्र बाद प्रमाणीकरण पुनः प्रार्थी को लौटाया गया । इस प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर होकर मोहर अंकित है जो दिनांक 21.06.1980 का हैं । प्रदर्श–25 पट्टा संख्या 112/1 है जिसका उल्लेख हम तनकी निर्णय के प्रारम्भ में कर चुके है। पत्रावली में प्रदर्श–26 साबिक नम्बर 80 का नक्शा ट्रेस की नकल है ,प्रदर्श–27 नकल मेवाडा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट उदयपुर पर्चा खतौनी नाम मौजा लुहारिया ठिकाना पारसोली की नम्बर आराजी संख्या 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा प.III खडा बिलानाम काबिल काश्त की नकल है। प्रदर्श–28 खसरा मौजा लुहारिया तहसील पारसोली ठिकाना पारसोली जिला चितौडगढ सम्वत 2000 की नकल है जो कि आराजी संख्या 80 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा पडत–III आचा. व आराजी संख्या 81 रकबा 13बीघा 11बिस्वा नदी की नकल है जिसमें आराजी संख्या 80 के सम्बन्ध में बिलानाम नाडानुमा तथा आराजी संख्या 81 को बिलानाम ओराई लिखा हुआ है। प्रदर्श–29 खसरा भू–प्रबंध की नकल है जो कि सम्वत 2023 के लिए आराजी संख्या 496 सुन्डी रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा गे.मु. नदी अंकित की हुई है। प्रदर्श–30 नक्शा ट्रेस मौजा लुहारिया की आराजी संख्या 496 की नकल है। प्रदर्श–31 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. का जो कि सत्यनारायण ईनाणी एडवोकेट द्वारा श्री राजस्थान राज्य द्वारा कलक्टर साहब चितौडगढ व श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब चितौडगढ के नाम पर जारी किया गया हे। नोटिस भिजवाने की रजिस्टर्ड [illegible] प्रदर्श–33 है। प्रदर्श–34 प्राप्त रसीद व प्रदर्श–35 लिफाफा जो भिजवाया है। प्रदर्श–[illegible] वक्ता सत्यनारायण ईनाणी द्वारा डाकघर अधीक्षक चितौडगढ को पावती [illegible] लेटर दिलवाये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र की प्रति [illegible] जो कि उप [illegible]पाल चितौडगढ द्वारा प्राप्त किया हुआ है, उक्त लेटर में जो रजिस्टर्ड [illegible] कलक्टर साहब एवं भूमिधरी तहसीलदार बेगूँ के नाम भिजवाई गई थी उसकी पावती प्राप्त नहीं होने से एक्नोलेजमेन्ट के रूप में पत्र लिखा गया है। यह सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किये जाने पर मामला वादीगण का स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के दादा जी श्री कृष्ण चन्द्र पिता हरलाल जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested

...जी संख्या 496 बन जो सुन्डी [illegible]
...यचक अंकित हुई है। इस भूमि को क्रेता कृष्ण पिता हरलाल व उनके पश्चात उनके पुत्र
रामस्वरूप ओझा द्वारा अपने नाम पर खाते में अमल कराये जाने हेतु समय समय पर
कार्यवाहीयां की जाती है जो प्रदर्श दस्तावेज इस पत्रावली में प्रस्तुत किये गये है जिनका
उल्लेख हम ऊपर विस्तृत रूप से अंकित कर चुके है। वाद वर्णित भूमि पर वादीगण के दादा
व पिता के विरूद्ध कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत एवं धारा 91 अतिक्रमण के सम्बन्ध में भी
कार्यवाही की जाती रही है तथा वर्णित आराजीयात पर जो फसल वादीगण के पूर्वज द्वारा
बोयी गई थी की फसल नीलामी भी की गई है। प्रस्तुत दस्तावेज वाद वर्णित भूमि पर
वादीगण से पूर्व उनके दादा व उनके बाद उनके पुत्र रामस्वरूप ओझा व उनके बाद उनके
पुत्र वादीगण का कब्जा काश्त होना सिद्ध करते है। जहां तक प्रश्नगत भूमि की किस्म का
प्रश्न है यह भूमि पट्टे विलेख में बेडच नदी के किनारे की भूमि होकर इसकी किस्म सून्डी
दर्ज अंकित है जिसके दस्तावेज भी प्रदर्श होकर वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये
है। सून्डी आराजी के सम्बन्ध में हम विस्तृत उल्लेख यदि करें तो इसके सम्बन्ध में वह भूमि
जो नदी के किनारे स्थित हो ऐसी नदीय तटीय भूमि जो कि जलोढ भूमि जिनकी मृदा
उपजाऊ हो कहलाती है। वाद वर्णित भूमि जिसके गत आराजी नम्बर 80 रकबा 42 बीघा 16
बिस्वा भूमि जिसकी किस्म पडत–III अंकित थी जो कि सेटलमेन्ट के समय भूमि सुन्डी दर्ज
कर दी तथा वर्तमान में इस भूमि को जमाबंदी में नदी दर्ज किया हुआ है, जिसके सम्बन्ध में
नदी भूमि को खातेदारी में घोषित किये जाने हेतु धारा 16 से बाधित होना प्रतिवादी भूमिधारी
अपने जवाब में अंकित करते है। प्रस्तुत दस्तावेज से यह भूमि नदी तटीय भूमि है जो मेवाड
में सूण्डी कहलाई गई है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत सभी बयानों के अवलोकन से वादीगण
का कब्जा होकर आराजी पर काश्त होना बताया गया है, गत आराजी संख्या 80 व 81 में
सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजीं संख्या 80 रकबा 42बीघा 16 बिस्वा की किस्म सून्डी दर्ज
अंकित की है जबकि 81 की किस्म नदी दर्ज की है। तो आराजी संख्या 80 जिसके नवीन
आराजी संख्या 496 बने है, की किस्म नदी किस प्रकार दर्ज कर दी गई, इस सम्बन्ध में
प्रतिवादीगण द्वारा ना तो कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया है और ना ही कोई ऐसा ठोस
सबूत प्रस्तुत किया है जो यह सिद्ध कर सके कि यह वाद वर्णित भूमि नदी किस आदेश से
दर्ज कर दी गई, जबकि पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 496 रकबा 42 बीघा 16
बिस्वा भूमि पर कब्जा वादीगण का होकर उन्होंने भूमि काश्त हेतु दे रखी है। भूमि पर फसल
भी हो रही है। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य वादीगण के यह सिद्ध हो जाता है
कि वादीगण के दादा श्री कृष्ण ओझा द्वारा जागीरदार श्री जगन्नाथ सिंह जी ठिकाना
पारसोली से वर्ष 1950 में क्रय सुदा भूमि जो कि 1200/–रूपये में क्रय की गई थी वह भूमि
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ तभी से क्रय की जाकर काबिज वादीगण के
रही है, भूमि की किस्म सून्डी यानि नदी के किनारे की भूमि है जिसे बाद में किस्म नदी दर्ज
कर दिया गया जो कि गलत है। नदी किस्म किस आदेश से हुई यह तथ्य प्रतिवादीगण सिद्ध
नहीं करा पाये है, हमारा मानना है कि प्रकृति अपना समय समय पर स्वरूप बदलती है , यह
भूमि नदी के पास की भूमि होने से राजस्व कार्मिको द्वारा जब भी इसका भौतिक सत्यापन
किया गया होगा तब इस भूमि को भी नदी की भूमि मान लिया है जो कि न्यायसंगत नहीं है।
गत आराजी संख्या 61 जिसके नवीन आराजी संख्या 350 बने जोकि किस्म कुआ है वह भूमि
वर्तमान में अन्य काश्तकारान खातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है जिसकी दाद वादीगण पाने
के अधिकारी नहीं है लेकिन अन्य सभी दस्तावेज के आधार पर वादीगण इस वाद वर्णित भूमि
को अपने नाम पर खातेदारी अधिकार में घोषित कराने का अधिकार रखते है। इस प्रकार
यह तनकी नम्बर 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:17 IST
Reason: SelfAttested

2–<u>तनकी नम्बर–2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पराकार तहसीलदार का है जिन्होने
अपने जवाबदावा में भूमि की किस्म सून्डी होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं

...चित्तौड़गढ़(राज.)

...अपने जवाबदावे में किया है किन्तु उक्त भूमि किन कारण से वादीगण के नाम ...में दर्ज नहीं हो सकती है तथा ऐसा कौनसा दस्तावेज है जिससे इस वाद वर्णित ...र्तमान में नदीं किस्म दर्ज कर दिया गया है, इन सभी तथ्यों को सिद्ध करा पाने में ...गण तहसीलदार असफल रहे है, जबकि न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः वर्तमान मौका ...में तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी संख्या 496 ...बा 10.0280 हैक्टर किस्म नदी है। यह कि वर्तमान में उक्त आराजीयात पर श्री सत्यनारायण पिता रामस्वरूप ओझा निवासी बस्सी तहसील चितौडगढ का कब्जा है। यह कि उक्त आराजीयात पर सत्यनारायण द्वारा स्वयं काश्त की जाकर खरीफ व रबी दोनों फसले बाई जा रही है। यह कि उक्त आराजीयात पर भूप्रबन्ध पूर्व से ही वादी सत्यनारायण का कब्जा चला आ रहा है । यह कि उक्त आराजीयात के चारो तरफ फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु सीमेन्ट के खम्भे तथा तारों की जाली लगाकर तारबंदी कर रखी है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में सून्डी होने से खाते नहीं होने का कथन किया है जबकि मौका रिपोर्ट में वादीगण का कब्जा होकर काश्त किया जाना व अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु सीमेन्ट के खम्भे तथा तारों की जाली लगाकर तारबंदी किया जाना बताया है, साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे को सिद्ध कराने हेतु कोई साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि वादीगण द्वारा पत्रावली में सभी दस्तावेज जिसका विस्तृत विवरण व निर्णय तनकी नम्बर 1 में अंकित किया गया है, को प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र को अपने पक्ष में करा पाने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकीयात दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण के पक्ष में सिद्ध होने से वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात की घोषणा वादीगण के पक्ष में किया जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः वाद वादीगणका अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा लुहारिया तहसील बेगूँ की गत आराजी संख्या 80 जिसके वर्तमान में आराजी संख्या 496 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा श्री कृष्ण पिता हरलाल ओझा निवासी बस्सी द्वारा जागिरदार श्री जगनन्नाथ सिंह से खरीद किये जाने व विक्रय विलेख जरिये पट्टा संख्या 112/1 से निष्पादित किये जाने व कब्जा वादीगण का ही होने से मौजा लुहारिया की आराजी संख्या 496 रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदारघोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:18:17 IST
Reason: SelfAttested